



कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त बिहार और झारखण्ड
OFFICE OF THE PRINCIPAL CHIEF COMMISSIONER OF INCOME TAX BIHAR & JHARKHAND
प्रथम तल, केंद्रीय राजस्व भवन बीरचंद पटेल मार्ग, पटना-८००००१
1st FLOOR, C.R BUILDING, BIRCHAND PATEL MARG, PATNA-800001
दूरभाष नं/TEL NO : 0612-2504447, ईमेल/Email - patna.pccit@incometax.gov.in

आदेश संख्या 395 of 2024

दिनांक: 31.12.2024

F.No.PCCIT/PAT/Estt./20015/12/2023-24/.....Pursuant to the recommendations of the DPC held on 28.12.2024 for Vacancy Year 2025, the following official are hereby promoted as Income Tax Officer on ad-hoc basis (GP – 4800/- now Pay Matrix Level 8 as per 7th CPC Rs.47,600/- - Rs. 1,51,100/- plus such allowances as may be admissible) with effect from 01.01.2025 or from the date of joining, whichever is later, on In-situ basis. The officer will continue to discharge the same function and duties on In-situ basis as he was discharging before promotion in the present office where he was posted until further orders.

सं.सं.PCCIT/PAT/Estt./20015/12/2023-24/.....रिक्ति वर्ष 2025 के लिए 28.12.2024 को आयोजित डीपीसी द्वारा अनुशंसित पैनल के अनुसार, निम्नलिखित कर्मचारी को आयकर अधिकारी (जीपी - 4800/- अब 7 वें सीपीसी के अनुसार पे मैट्रिक्स लेवल 8 रु. 47,600/- - रु. 1,51,100/- एवं अन्य मान्य भत्ते) के पद पर तदर्थ रूप से In-situ आधार पर दिनांक 01.01.2025 से प्रभावी अथवा नए पद पर योगदान देने की तिथि से, जो भी बाद में हो, पदोन्नत किया जाता है। ये अधिकारी अगले आदेश तक उसी तरह के कार्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करते रहेंगे जैसे वे वर्तमान कार्यालय में अपनी पदोन्नति से पहले कर रहे थे, जहां वे तैनात थे।

Sl. No.	Name (Shri)	Category	DOB	Employee No.
1	Sunil Kumar	UR	01.02.1988	175684

Conditions:

1. The Ad-hoc promotion shall not confer on the officer concerned any right to claim seniority either in the grade of ITO or for regular promotion as ITO.
तदर्थ आधार पर दी गयी प्रोन्नति किसी भी दशा में अधिकारी को आयकर अधिकारी संवर्ग में वरीयता या नियमित आधार पर प्रोन्नति का अधिकार प्रदान नहीं करती है।
2. The officer is liable to be reverted at any time without assigning any reason.
अधिकारी को किसी भी समय बिना कारण बताए उनके पुराने संवर्ग में वापस भेजा जा सकता है।

~~(सौरभ उपाध्याय)~~
आयकर उपायुक्त (मुख्यां) प्रशां
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

3. The promotion is valid for one year or till reversion to the feeder cadre or regularization of such promotion, whichever is earlier, in terms of Para No. 5 of DoPT OM No. 28036/8/87-Estt.(D) dated 30.03.1988, unless it is further extended as per relevant rules. The above Ad-hoc promotion is subject to conditions as laid down in the consolidated instruction in the matter issued by the DoPT in OM dated 03.04.2013.

कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के कार्यालय ज्ञापन संख्या 28036/8/87-Estt.(D) dated 30.03.1988 के पैराग्राफ 5 के अनुसार उपरोक्त पदोन्नति एक साल के लिए या पोषक संवर्ग में प्रत्यावर्तन या पदोन्नति के नियमितकरण में से जो भी पहले हो तक, के लिए वैध होगी, जब तक इस संबन्धित नियमों के अंतर्गत बढ़ाया न जाय। उपरोक्त पदोन्नति कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग के दिनांक 03.04.2013 कार्यालय ज्ञापन के द्वारा इस संबंध में निर्गत समेकित निर्देशों के शर्तों के अधीन होगी।

4. The officers are not entitled to exercise the option provided under FR 22(1)(a)(1) being ad-hoc promotion. They will be entitled to exercise the option on their regularization.

तदर्थ प्रोन्नति के कारण अधिकारी को FR 22(1)(a)(1) के अंतर्गत वेतन निर्धारण के विकल्प चुनने का अधिकार नहीं होगा वे उनके प्रोन्नति के नियमितीकरण पर ही विकल्प चुनने के अधिकारी होंगे।

5. The said promotion order is subject to review/reversion due to any contingency like change in number of vacancies, change in Recruitment Rules etc as well as any direction received from any Court/CBDT/DoPT and any other Competent Authority.

उपरोक्त पदोन्नति रिक्तियों की संख्या में परिवर्तन, भर्ती नियमों में परिवर्तन इत्यादि के साथ-साथ किसी भी न्यायालय/के प्र क बो/प्र & का विभाग/कोई और सक्षम प्राधिकारी से प्राप्त निर्देशों जैसे आकस्मिकताओं के अधीन है।

6. The said promotion order is subject to outcome of SLP, if filed by the Department with regard to the Order of Hon'ble High Court, Patna dated 06.02.2018 in CWJC No. 17935/2017(main order) & 16742/2017(arising out of OAs No. 223/2017 & 356/2017) and any Order of Hon'ble Apex Court which may be applicable which may be applicable in this matter.

उक्त पदोन्नति आदेश, माननीय उच्च न्यायालय, पटना के आदेश दिनांक 06.02.2018 के सीडब्ल्यूजेसी संख्या 17935/2017 (मुख्य आदेश और (16742/2017 के आदेश (ओएस संख्या 223/2017 और 356/2017 से उत्पन्न होने वाले के संबंध में विभाग द्वारा दायर किया गया एसएलपी (यदि ऐसा किया जाता है) में और अन्य किसी भी मामले में माननीय सर्वोच्च न्यायालय का कोई भी आदेश, जो इस मामले में लागू हो सकता है, के अधीन होगा

7. The said promotion order is subject to review in respect of any order/direction passed given by Hon'ble Supreme Court in Special Leave to Appeal(C)No. 30621/2011 arising out of final judgment and order dated 15.07.11 in CWP No. 13218/2009 passed by the Hon'ble High Court of Punjab & Haryana and Special Leave to Appeal(C)No. 31288/2017 arising out of Hon'ble Delhi High Court judgment dated 23.08.2017 and other related court cases as intimated vide DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018.

उपरोक्त पदोन्नति आदेशों CWP संख्या 13218/2009 में माननीय पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के दिनांक को दिये गए 15.07.11 अंतिम निर्णय के परिणामस्वरूप अपील (c) संख्या 30621/2011 एवं एवं माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के द्वारा दिनांक 23.08.2017को दिये गए निर्णय के संबंध में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा दिये गए किसी भी आदेशनिर्देश एवं / अन्य न्यायालयीयमामले जो कि DoPT OM F.No.36012/11/2016-Estt.(Res-I) (Pt-II) dated 15.06.2018 द्वारा सूचित किए गए हैं, के अंतर्गत समीक्षा के अधीन होगी।

~~(सौरभ उपाध्याय)~~
आयुक्त उपसुक्त (सुख्या०) प्रशा०
कार्यालय प्रधान मुख्य आयुक्त, आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

8. The said promotion order is subject to review in respect of revision/Re-fixation of inter-seniority, in feeder cadre in view of advisories issued/to be issued by HRD, CBET, New Delhi to implement the judgment of Hon'ble Supreme Court in case of N R Parmar and in the case of K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No. 8833-8835 of 2019 arising out of SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 and various guidelines of DOPT.

उपरोक्त पदोन्नति आदेश SLP(C) Nos 19565-19567 of 2019 के कारण उत्पन्न K. Meghchandra Singh & Ors versus Nigam Siro & Ors in Civil Appeal No 8833-8835 of 2019 एवं एन आर परमार के केस में माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय को लागू करने के लिए पोषक संवर्ग में वरीयता के पुनःनिर्धारण हेतु मानव संसाधन निदेशालय, केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड एवं DoPT के द्वारा निर्गत विभिन्न दिशानिर्देशों के अधीन होगी।

9. No benefit of pay fixation shall be admissible on promotion in this grade for which financial up-gradation under MACP scheme has already been granted to them in accordance with the provisions contained in DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016. However, in certain cases, where regular promotion is not between two successive pay matrix/ grades, higher grade pay/pay matrix (as per 7th CPC) attached to the next promotion post in the hierarchy of the concerned cadre/organization will be payable at the time of regular promotion.

MACP योजना के अंतर्गत DoPT's circular No. 35034/2008/-Estt(D) dated 19.05.2009 and O.M. No. 35034/3/2015-Estt(D) dated 28th September, 2016 के प्रावधानों के अनुरूप अगर किसी अधिकारी को पहले ही वित्तीय उन्नयन का लाभ दे दिया गया है, तो उन्हें इस प्रोन्नति पर वेतन निर्धारण का लाभ नहीं मिलेगा। फिर भी, अगर नियमित पदोन्नति अगर दो लगातार पे मैट्रिक्स के बीच नहीं हो, तो संबन्धित कैडर के वरीयता में अगले प्रोन्नति वाले पद के साथ संलग्न पे मैट्रिक्स नियमित पदोन्नति पर देय होगा।

10. This promotion is being effected on In Situ basis and the Officers will continue to discharge the same functions and duties as they were discharging before their promotion till their formal postings are decided by the Competent Authority.

सक्षम प्राधिकारी द्वारा औपचारिक तैनाती होने तक यह पदोन्नति स्वस्थाने आधार पर प्रभावी होगी और कर्मचारी उन्हीं कार्यों एवं दायित्वों का निर्वहन करेंगे जो वे पदोन्नती के पूर्व कर रहे थे।

11. The compliance report regarding joining of the above Officers shall be forwarded by the concerned Head of the Office within seven days of joining of such Officer.

उपर्युक्त कर्मियों की कार्यग्रहण संबंधी अनुपालन रिपोर्ट कर्मियों के कार्य ग्रहण के सात दिनों के अंदर संबंधित कार्यालय प्रमुख के द्वारा इस कार्यक्रम में अग्रसारित की जाएगी।

(नोट-किसी भी विवाद की स्थिति में इस आदेश का अंग्रेजी पाठ मान्य होगा)

This issues with the approval of Principal Chief Commissioner of Income Tax (Bihar & Jharkhand), Patna.

ह०/-

(कन्हैया लाल कनक)

आयकर आयुक्त (प्रशा. एवं क.दा.से.),

पटना

(सौरभ उपाध्याय)
आयकर आयुक्त (मुख्या०) प्रशा०
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना

Copy to:

1. The DGIT (Inv.), Patna
2. The CCIT, Ranchi.
3. All the PCsIT/PDIT/CsIT/DIT under Bihar & Jharkhand.
4. ADG(Training), NADT-RC, Hazaribagh at Ranchi
5. Addl.CIT/JCIT (Appeals), Patna & Ranchi
6. Under Secretary to Govt. Of India, Ad.VI, CBDT, New Delhi, 5th Floor, Jeevan Vihar Building, 3, Parliament Street, New Delhi-110001
7. All the ZAO of Bihar and Jharkhand.
8. The GS, ITEF/ITGOA/ITSEWA, Bihar & Jharkhand Circle, Patna
9. ITO (Welfare), O/o Pr.CCIT(B&J), Patna
10. Officers concerned
11. Guard File.

~~(सौरभ उपाध्याय)~~
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) (प्रशासन),
~~(सौरभ उपाध्याय)~~ प्रटना
आयकर उपायुक्त (मुख्यालय) प्रशासन
कार्यालय प्रधान मुख्य आयकर आयुक्त,
बिहार एवं झारखण्ड, पटना